बढ़ेगा होल्डिंग टैक्स

नगर विकास विभाग ने दिया 25 फ़ीसदी इजाफे का प्रस्ताव

पटना : सूबे के शहरों के मकान मालिकों को अब होल्डिंग टैक्स के रूप में अधिक पैसे देने होंगे. नगर विकास विभाग इसमें 25 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है. इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है.

इसे कैबिनेट की मुहर लगते ही लागू कर दिया जायेगा. इससे जहां नगर निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, वहीं शहरों में मकान किराये में और वृद्धि होने की आशंका है.

कई परियोजनाओं पर काम
नगर विकास मंत्री प्रेम कु मार ने सोमवार को बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि होल्डिंग टैक्स में संशोधन करने का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है.

इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि नगर निकायों का राजस्व बढ़े और शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग शहरों में बुनियादी और नागरिक सुविधाएं बहाल करने की दिशा में कार्रवाई कर रहा है.

कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. इससे कुछ वर्षो में राज्यों के शहरों की सूरत बदल जायेगी. व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्र में सड़कों के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया जाता है.

पटना नगर निगम के व्यावसायिक क्षेत्र की प्रधान सड़क के भवनों की होल्डिंग टैक्स दर प्रति वर्गफ़ुट 54 रुपये निर्धारित है. इस क्षेत्र के मुख्य सड़कवाले भवनों के लिए यह 36 रुपये प्रति वर्गफुट, जबकि अन्य सड़क के किनारे के मकान के लिए 18 रुपये प्रति वर्गफ़ुट निर्धारित है.

इसी तरह आवासीय क्षेत्र की प्रधान सड़क के पास के मकानों के टैक्स की दर 18 रुपये प्रति वर्गफ़ुट है, जबकि मुख्य सड़क के किनारे के मकानों के लिए यह 12 रुपये और अन्य तरह की सड़कों पर स्थित मकानों के लिए छह रुपये प्रति वर्गफ़ुट निर्धारित है.